भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2968

गुरूवार, 13 अगस्त, 2026/22 श्रावण, 1948 (शक)

न्यूनतम मजदूरी आवश्यकताओं का अनुपालन न करना

2968 **श्री मोहम्मद नदीमुल हक़:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2014 से अब तक कितने प्रतिष्ठानों ने न्यूनतम मजदूरी अधिसूचनाओं का अनुपालन नहीं किया है; और

(ख) ऐसे मामलों में वास्तव में कितना जुर्माना वसूल किया गया?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) और (ख): "श्रम" भारत के संविधान की समवर्ती सूची का एक विषय है।

दिनांक 21.11.2025 से प्रवृत्त हुई, मजदूरी संहिता,2019 में मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, बोनस संदाय अधिनियम, 1965 तथा समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के उपबंधों का समावेश किया गया है। मजदूरी संहिता, 2019 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें, संहिता के उपबंधों के अनुसार, अपने-अपने अधिकार-क्षेत्र में आने वाले नियोजनों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित करने के लिए समुचित सरकारें होती हैं।

केंद्रीय क्षेत्राधिकार में प्रवर्तन, मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के निरीक्षण अधिकारियों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है, जिन्हें सामान्यतः केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) के नाम से अभिहित किया जाता है। इसी प्रकार, राज्य क्षेत्राधिकार में इसका प्रवर्तन राज्य प्रवर्तन तंत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है।

वर्ष 2014-15 से 2025-26 तक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन केंद्रीय क्षेत्राधिकार में जिन स्थापनों के विरुद्ध दावा मामले दायर किए गए तथा जिन मामलों में अधिनिर्णीत कुल राशि की वसूली की गई, उनका ब्यौरा संलग्नक में दिया गया है।

संलग्नक

"न्यूनतम मजदूरी आवश्यकताओं का अनुपालन न करना" के संबंध में श्री मोहम्मद नदीमुल हक़ द्वारा दिनांक 13.08.2026 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2968 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक

वर्ष 2014-15 से 2025-26 तक की अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन केंद्रीय क्षेत्राधिकार में जिन स्थापनों के विरुद्ध दावा मामले दायर किए गए तथा जिन मामलों में अधिनिर्णीत कुल राशि की वसूली की गई, उनका ब्यौरा निम्नानुसार है :

वर्ष	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन उन स्थापनों की संख्या जिनके विरुद्ध दावा मामले दायर किए गए	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन वसूल की गई अधिनिर्णीत कुल राशि (रुपयों में)
2014-15	1633	1,59,68,139
2015-16	535	79,39,551
2016-17	1191	1,24,21,854
2017-18	926	1,71,02,937
2018-19	1830	4,55,25,908
2019-20	2156	5,21,76,465
2020-21	1714	5,24,40,244
2021-22	1749	9,47,70,877
2022-23	2325	10,54,89,933
2023-24	1683	10,88,43,330.4
2024-25	1133	14,21,17,534
2025-26	962	4,03,47,172.8
